(c) the steps Government have taken or propose to take for increase in mango production next year and also the estimate of increase in foreign exchange during that period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) The mango is grown almost in all the districts of Maharashtra. However, important districts are Ratnagiri, Sindudurg, Raigarh and Thane. During 1993-94, the production of mango in these districts was as under:

Distt.	Production (MTs)
Ratnagiri	1,42,705
Sindudurg	45,000
Raigarh	9,4444
Thane	5,262

The district-wise export figures are not maintained. However the total export from the state during 1993-94 was 50,000 onnes for a value of about Rs. 60 crore.

(c) Government of Maharashtra have started Employment Guarantee Scheme linked with horticulture development programme in order to increase the area under mango cultivation. The Government of India is also providing assistance for establishing nurseries for supply of quality planting material, training for improving productivity. The National Horticulture Board is also providing assistance for creating infrastruture facilities to increase the exports such as mobile pre-cooling facility at the airport grading, packing centre and transport facility etc.

गुजरात, राजस्थान और गोवा में फसल बीमा योजना

469. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के वर्षों के दौरान गुजरात, राजस्थान और गोवा में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसान कितना लाभांवित हुये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना का आकलन करने के लिये कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान लाभांवित किसानों की राज्यवार संख्या निम्नवत है:

राज्य	लाभान्वित किसानों की संख्या		
	1991–92	1992–93	1993–94
गुजरात	515910	18361	493763*
गोवा	88	115	78
राजस्थान	—भाग नहीं लिया—		

* अनन्तिम

(ख) से (ङ) जी, हां। इस योजना की समीक्षा करने के लिये भारत सरकार द्वारा 1988 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना में निम्नलिखित संशोधन किये गये थे:—

(1) बीमांकित राशि को, ऋण की राशि के 150 प्रतिशत के पूर्व के प्रावधान से घटाकर फसल ऋण का 100 प्रतिशत कर दिया गया है, बशर्ते यह प्रति किसान अधिकतम 10000 रुपये हो ; तथा

(2) उपज की विभिन्नता पर निर्भर करते हुये क्षतिपूर्ति के अलग-अलग स्तर लागू किये गये।

"ड्रिप" सिंचाई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत गुजरात को आबंटित धनराशि

470. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने "ड्रिप" सिंचाई प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों तक इस प्रौद्योगिकी की सुविधा को पहुंचाने के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है ;

(ख) क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है और अब तक की गई कार्यवाही का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस राज्य के सभी गांवों तक इस प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के लिये भविष्य में क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग की एक योजना के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों में गुजरात सरकार को 703.12 लाख रुपये की राशि आवंटित और निर्मुक्त की है। इस योजना में ड्रिप सिंचाई प्रौद्योगिकी एक घटक के रूप में शामिल है।

(ख) गुजरात राज्य ने विगत तीन वर्षों में 513.38 लाख रुपये की राशि का उपयोग किसानों की सबसिडी के रूप में किया है। इसकी जिलावार उपलब्ध विवरण के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिये)

(ग) ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना को कार्यान्वित करने की एक योजना ग्राम स्तर पर पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना गुजरात के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें राज्य के सूखा वाले क्षेत्रों के जिलों पर ज्यादा जोर दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयुक्त की गई राशि (जिलावार)					
	1991–92		1992–93		1993–94	
	क्षेत्र (है०)	राशि (लाख रु०)	क्षेत्र (है०)	राशि (लाख रु०)	क्षेत्र (है०)	राशि (लाख रु०)
राजकोट	101	12.56	101	14.75	354	41.00
नागढ़	330	42.35	295	40.58	251	29.84
भावनगर	500	57.00	181	23.40	104	15.12